न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

26.11.2024

वाद सं०– **एम०– 51/2024–25**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर थाना) –बनाम– बसंत रौतिया वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०– **92/2024** एवं **चैनपुर थाना** अप्राथमिकी काण्ड सं०– **13/2024 दिनांक– 28.10.2024** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा– 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष **1.** बसंत रौतिया, पे०– बिगुआ रौतिया, सा०– चैनपुर, रौतिया बस्ती **2.** संदीप भगत, पे०– राजेश शरण भगत **3.** राजेश शरण भगत, पे०– स्व० सोहन बैगा दोनों सा० MLA रोड चैनपुर **4.** अजय बेक, पिता– स्व० मिखाईल बेक, ग्राम– अल्बर्ट एक्का चौक **5.** दीपक भगत, पे० अनिल भगत, सा०– प्रेमनगर **6.** संतोष केशरी, पे०– भुनेश्वर केसरी, सा०– चैनपुर **7.** राजेश भगत, पे०– बिगन रौतिया, सा०– छतरपुर **8.** प्रकाश सिंह, पे०– स्व० रामेश्वर सिंह, सा०– चैनपुर, सभी थाना– चैनपुर, जिला– गुमला को **विधान सभा निर्वाचन, 2024** में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का परिणाम दिनांक– 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आर्दश आचार संहिता का भी समापन हो गया है। **थाना प्रभारी, चैनपुर** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2024.12.10 14:22:12 +05:30
Location: 192.168.48.18

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

26/11/24

Scanned with ACE Scanner